

राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

बीमा भवन, जय सिंह हाईवे, जयपुर–302016

FAQs

1. आर.टी.आई. एकट के संदर्भ में विभाग के मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों से संबंधित सूचनाओं के लिए लोक सूचना अधिकारी कौन है ?

– अतिरिक्त निदेशक (शिकायत निवारण)

2. आर.टी.आई. एकट के संदर्भ में मुख्यालय से संबंधित सूचनाओं के लिए प्रथम अपील अधिकारी कौन है ?

– वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता)

3. आर.टी.आई. के अन्तर्गत विभाग के संभाग कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी कौन हैं ?

लोक सूचना अधिकारी –अतिरिक्त निदेशक, संभाग कार्यालय हैं तथा प्रथम अपील अधिकारी –निदेशक , राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग हैं।

4. आर.टी.आई. के अन्तर्गत विभागीय जिला कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिए लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी कौन है ?

– जिन जिला कार्यालयों में एक से अधिक अधिकारी , पदस्थापित है वहां कनिष्ठ अधिकारी लोक सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारी प्रथम अपील अधिकारी है। जिन जिला कार्यालयों में एक अधिकारी ही पदस्थापित है वहां जिला अधिकारी लोक सूचना अधिकारी एवं संभाग स्तरीय अधिकारी –प्रथम अपील अधिकारी है।

5.राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत वर्तमान में विभाग की कौन–कौनसी सेवा सम्मिलित है तथा उन सेवाओं के लिए निर्धारित अवधि क्या हैः–

क्रम संख्या	सेवा	अवधि
1	बीमा ऋण	10 दिवस
2	बीमा स्वत्व	21 दिवस
3	बीमा पॉलिसी जारी करना	प्रथम कटौती दो माह
4	जीपीएफ / बीमा रिकार्ड सत्यापन	7 दिवस
5	जीपीएफ अंतिम आहरण	15 दिवस
6	जीपीएफ स्वत्व	21 दिवस
7	बीमा / जीपीएफ खाता स्थानातंरण	30 दिवस
8	अधिक जोखिम वहन करना	कटौती के दो माह में
9	साधारण बीमा योजना दावा	21 दिवस
10	विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना दावा	15 दिवस
11	समूह दुर्घटना बीमा योजना दावा	21 दिवस
12	मेडिकलम	30 दिवस
13	प्रान जारी करना	20 दिवस

6. क्या खाता स्थानातंरण हेतु वर्तमान में पूर्व की भाँति मासिक रूप से मैन्युअली क्लीयरिंग हाउस का आयोजन हो रहा है ?

—जी नहीं। वर्तमान में ई—क्लीयरिंग के माध्यम से कार्य निष्पादन किया जा रहा है जिसमें कार्मिक के बैग / लेजर को एसआइपीएफ पोर्टल (न्यू) पर संबंधित कार्मिक के ई—बैग में अपलोड कर दिया जाता है।

7. विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का मासिक विवरण किसके द्वारा संकलित किया जाता है ?

—सतर्कता अनुभाग द्वारा

8. राजस्थान संपर्क पोर्टल में L-1 स्तर पर प्रकरण की निर्धारित अवधि क्या है ?

—30 दिवस

9. राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत पदाभिहित अधिकारी कौन है?

—विभाग के सहायक/उप/संयुक्त निदेशक पदाभिहित अधिकारी हैं?

10. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम –2011 के तहत प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी कौन है ?

—वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी) प्रथम अपील अधिकारी हैं जबकि निदेशक , राज्य बीमा द्वितीय अपील अधिकारी हैं।